दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि

1593. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि दवाइयों के मूल्यों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार दवाइयों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिये कोई कदम उठाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) :(क) और (ख) अन्तर्वस्तु की लागत बढ़ने की स्थिति में विशेषकर आयातित प्रकृति की दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि अपरिहार्य है यदि उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है।

(ग) और (घ) अनुसूचित सूत्रयोगों के मूल्यों की डी पी सी ओ 1987 के उपबन्धों के अनुसार बी० आई० सी० पी० जो कि औद्योगिक लागत और मूल्यों पर सरकार की विशेषज्ञ निकाय है, की सिफारिशों को प्राप्त करने के पश्चात मूल्य नियत होते हैं। मूल्य नियन्त्रण के बाहर के सूत्रयोगों के मामले में जब कभी भी कोई अनुचित मूल वृद्धि होती है, तो सरकार उचित स्तर पर लाने के लिए हस्तक्षेप करती है। कुल मिलाकर यह व्यवस्था अन्तर्वस्तु लागतों में वास्तविक वृद्धि से संबंधित मूल्य वृद्धि की अनुमति को सुनिश्चित करता है।

भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी स्थित कारखाने का आधुनिकीकरण

1594. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी स्थित कारखाने का आधुनिकीकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अनुमानतः कितना व्यय होने की संभावना है और इस कार्य के कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन):(क) और (ख) दि फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ० सी० आई०) सिन्दरी एकक के पुनर्वास के चरण–1, जिसमें कैप्टिव पावर संयंत्र भी शामिल है का रु० 16.23 करोड़ की लागत से पहले ही कार्यान्वयन कर रही है जिसमें से रु० 3.3 करोड़ पहले ही खर्च हो चुका है। बजटीय बाधाओं के कारण रु० 142.64 करोड़ की अनुमानित लागत पर सिन्दरी के लिए नये कैप्टिव पावर संयंत्र हेतु एफ० सी० आई० के प्रस्ताव को लेना सरकार के लिए सम्भव नहीं हुआ है। एफ० सी० आई० बोर्ड ने 13.64 करोड़ रुपये की लागत पर सिन्दरी में मोलीकूलर सीव लगाने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। सम्पूर्ण निधि बाधाओं को मद्देनजर रखते हुए इन योजनाओं पर कार्य आरम्भण के सम्बन्ध में कोई निर्धारित समय सूचित नहीं किया जा सकता।

Unauthorised absence of I.D.P.L. Employees

1595. SHRI MD. SALIM : Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the reply to the Unstarred Question 2258 given in the Rajya Sabha on 30th July, 1992 and state :

(a) when is the suspension of an employee considered, if it is not immediately after the expiry of four days of unauthorised absence as per rule 5(7) of IDPL CDA Rules; and

(b) what is the requisite procedure of disciplinary action in case it is not taken immediately after the expiry of four days of absence ?